करना चाहें तो उन्हें पहला दर्जा तथा वातानुकूल दर्जे के बीच के अंतर का भुगतान करना होता है।

(iii) सदस्यों की वापसी यात्रा के लिए स्थाई अथवा अस्थाई निवास-स्थान से भिन्न स्थान के लिए भी पास जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि पास जारी किए जाने वाले स्टेशन तक की दूरी से यह दूरी कम हो।

(iv) सदस्यों को समय-समय पर निर्धारित दैनिक भत्ता तथा जेब खर्च भी दिया जाता है।

(v) उन संसद सदस्यों को, जो समिति के सदस्य हैं, समय-समय पर यथा संशोधित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के, जब कभी यह गठित की जाती है प्रभावकारी ढंग से कार्य किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संसद सदस्यों, भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सेवारत तथा सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस समिति की बैठकें वर्ष में दो बार बुलाई जाती है। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाता है।

Issuance of photo identity cards to voters in Delhi

318. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of voters in Delhi, particularly South Delhi; whose photos have been taken, have not been issued photo identity cards;

(b) if so, the reasons for delay in issuing photo identity cards to the voters in those areas of Delhi; and

(c) the details of steps taken to expedite the delivery of identity cards to every voter whose photo has been taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (c) According to information made available by the Chief Electoral Officer, Delhi, over 85 per cent electors have been supplied with the photo identity cards. A total of 1,110,381 out of 1,716,905 electors have been supplied photo identity cards in South Delhi. A fresh phase of photography is being started shortly to prepare photo identity cards of the remaining electors. In this phase, photographs would also be taken of such electors as were photographed earlier but for technical reasons their photo identity cards could not be prepared. Government employees have been deputed to deliver the photo identity cards.

सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाना

319. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सरकारी और अन्य सेवाओं में नौकरी देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सेवाओं में उनके कार्य के दौरान पिछली सेना की सेवा की उनकी पेंशन में मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते नहीं दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले उक्त लाभों को नियमित करेगी; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन में अन्य भत्ते प्रदान किए जाएं और जब उन्हें पुनः रोजगार प्राप्त हो तो इन्हें उनके नए वेतनमान में शामिल किया जाए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में

निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है:—

	केन्द्रीय सरकार	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

1.1 इसके अलावा, अर्द्ध-सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट के पदों में 10% आरक्षण की भी व्यवस्था है।

1.2 रक्षा सुरक्षा कोर में केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही भर्ती किया जाता है।

1.3 केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु और शैक्षिक अर्हताओं में नीचे दिए गए अनुसार छूट प्रदान की जाती है:—

1.3.1 **आयु-सीमा में छूट:** समूह "ग" और "घ" पदों तथा साथ ही समूह "क" और "ख" के ऐसे पदों, जिन पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से न करके भिन्न रूप से की जाती है, के लिए सैन्य सेवा में तीन वर्ष जोड़कर छूट प्रदान की जाती है। समूह "क" और "ख" के जिन पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है उनके लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है।

1.3.2 **शैक्षिक अर्हताओं में छूट:** सेना श्रेणी—I, II और III प्रमाण-पत्रों को क्रमशः आठवीं कक्षा, छठी कक्षा और चौथी कक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष माना गया है। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने कम-से-कम 15 वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने सेना श्रेणी-I प्रमाण-पत्र परीक्षा पास की है, वे उन पदों के लिए पात्र हैं, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक अथवा समकक्ष रखी गई है। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक रखी गई है उनके लिए वे भूतपूर्व सैनिक पात्र हैं, जिन्होंने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास कर रखी है और कम से कम 15 वर्ष की सैन्य सेवा की है।

1.4 कई राज्य सरकारों ने भी विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है।

2. वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.5.1975 के अनुदेशों के अनुसार पुनःरोजगार प्राप्त पेंशनर पुनर्नियुक्ति की अवधि के दौरान अपनी पेंशन पर कोई राहत पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि वे पुनर्नियुक्ति के दौरान अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं। इन अनुदेशों की वैधता पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 की *सिविल अपील संख्या* 3543-46 में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 8.12.1994 के निर्णय में यह कहा है कि भारत सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्त हो जाने के बाद भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पेंशन पर महंगाई राहत से ठीक ही वंचित किया गया है क्योंकि पुनर्नियुक्ति पर उन्हें अदा किए जाने वाले महंगाई भत्ते में मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रा के मूल्य ह्रास की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों सहित पुनर्नियुक्त पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार पुनर्नियुक्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी अपनी पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति की अवधि के दौरान अपनी पेंशन/परिवार पेंशन पर अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

Telephone Facilities to CGHS Doctors

320. **SHRI NISA R. GANESAN:** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the names of doctors/specialists/CMO/Consultants in the CGHS in Delhi who have been provided official telephones at their residences;

(b) whether it is a fact that the consultants (Ayurvedic/Homoeopathic) working in the CGHS, Safdarjung Hospital are not getting the above facilities;

(c) if so, the details thereof; and

(d) by when Government propose to provide these facilities?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) The information is given in the enclosed statement (*See* below).